

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद,
जनपद-संतकबीरनगर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक २४ मार्च, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आर.एफ.17/नौ-9-2014-59आर.एफ./14 दिनांक 06 फरवरी, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त शासनादेश द्वारा नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर को कुल ₹0 30.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 15.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-आर.एफ.17/नौ-9-2014-59आर.एफ./14 दिनांक 06 फरवरी, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर को अवशेष धनराशि कुल ₹0 15.00 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महर्षे स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखा शीर्षक- ' 6215-जल पूति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण' के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- " 6215-जल पूति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण ' में उपलब्ध बचत से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा
- (2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्या हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा

प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30 जून, 2016 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या-आर.एफ. 17/नौ-9-2014-59आर.एफ./14 दिनांक 06 फरवरी, 2015 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 (भाग-1)

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2016/आर.एफ. 248 /नौ-9-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, 30प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-28/03/2016

प्रेषण संख्या:- 32
आवंटन आदेश संख्या:- 001-32-2016-RF248-9-9-16-59RF-14
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	1500000	1500000
		प्रगामी	34267000	34267000
	योग	वर्तमान	1500000	1500000
		प्रगामी	34267000	34267000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बयालीस लाख सरसठ हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी